

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:- 16.10.2025

कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य—Public Administration प्रतियोगी परीक्षा—2023 की लिखित (Objective Type) परीक्षा के जारी किये गये परिणाम दिनांक 06.02.2025 के अन्तर्गत साक्षात्कार हेतु अस्थाई रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 06.10.2025 से दिनांक 14.10.2025 तक आयोजित किये गये।

साक्षात्कार उपरान्त संबंधित सेवा नियमानुसार निम्नलिखित रोल नम्बर के अभ्यर्थियों को उनके रोल नम्बर के सम्मुख कोष्ठक में अंकित मेरिट क्रमांक के अनुसार मुख्य सूची में सफल घोषित किया जाता है:-

रोल नम्बर (मेरिट क्रमांक)

2502903 (M-22)	2503553 (M-15)	2505107 (M-11)	2519398 (M-32)
2522575 (M-21)	2523139 (M-28)	2529636 (M-41)	2529959 (M-33)
2531323 (M-31)	2532136 (M-3)	2533648 (M-34)	2539921 (M-36)
2540888 (M-43)	2546856 (M-42)	2549797 (M-44)	2559560 (M-24) (P)
2561556 (M-1) (P)	2565746 (M-45) (P)	2567966 (M-39)	2573238 (M-9)
2573744 (M-2)	2583061 (M-37) (P)	2586822 (M-27)	2589937 (M-30) (P)
2591383 (M-20)	2594586 (M-4)	2604586 (M-7)	2612629 (M-40)
2615588 (M-25)	2617463 (M-16) (P)	2617995 (M-23)	2618103 (M-8)
2618668 (M-6)	2618676 (M-17)	2619298 (M-38)	2633612 (M-35)
2633991 (M-5) (P)	2634228 (M-13) (P)	2637742 (M-19)	2638727 (M-14)
2645827 (M-12) (P)	2648225 (M-18) (P)	2649260 (M-10)	2672426 (M-29)
2676561 (M-26)			

TOTAL CANDIDATES:- 45

CUT OFF MARKS

CATEGORY		CUT OFF MARKS	DATE OF BIRTH	REMARKS
GEN. (UR)	GEN.	145.86	07-01-1990	-
	GEN. WE	142.79	02-05-1986	-
	WD	89.31	23-12-1981	-
S.C.	GEN.	109.10	03-02-1997	-
	GEN. WE			
	WD	54.00	14-03-1984	WD N.A., DV Against WD
S.T.	GEN.	114.18	09-12-1994	-
	GEN. WE			
O.B.C.	GEN.	139.47	10-07-1978	-
	GEN. WE	136.91	17-12-2000	-
	WD	88.89	04-10-1972	-
M.B.C.	GEN.	118.89	07-09-1996	-
E.W.S	GEN.	120.07	08-05-1995	-
	GEN. WE			

HORIZONTAL RESERVATION

CATEGORY		CUT OFF MARKS	DATE OF BIRTH
PH	LD/CP & Others	117.74	17-06-1990

नोट:-

1. 'P' से तात्पर्य प्रोविजनल से है।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण 02 अभ्यर्थियों रोल नम्बर-2606133 एवं 2622609 का परिणाम सील्ड कवर में रखा गया है।

3. परिणाम तैयार करते समय राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुरूप आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों द्वारा आयु एवं अन्य किसी तरह (फीस को छोड़कर) की छूट प्राप्त की हो, तो उन अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के वर्ग में विचारित किया गया है।

(रामनिवास मेहता)
सचिव